राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	गोपाल बनाम ताराचन्द हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07/10/25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 30/10/2025 को पेश हो।	
30/10/25	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद में उल्लेखित तथ्यों का विवेचन किये बगैर एवं बिना किसी आधार कर अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक पारित दिनांक 12/04/2018 पारित करते हुये अपीलार्थीगण का वाद ख़ारिज फरमा दिया गया, जिसके विरुद्ध अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी-अपनी मौखिक बहस की। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि विचाराधीन वाद अधिकार, घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा एवं बंटवारा का है, जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर ही अपीलाधीन निर्णय के माध्यम से ख़ारिज कर दिया गया, जबकी विधि के प्रावधानों के अनुसार घोषणा के वाद के निस्तारण हेतु यह आवश्यक होता है कि साक्ष्य-सबूत ग्राह्य कर तनकीयात का साक्ष्य-सबूत के आधार पर परिक्षण/विवेचन करते हुये विधिसम्मत निस्तारण करे एवं यदि कोई विधिक बिन्दु इस दरमियान प्रकट होता है तो उसके सम्बन्ध में एक अतिरिक्त तनकीकायम कर उसका भी समस्त साक्ष्य-सबूत के आधार पर बाद परिक्षण/विवेचन निस्तारण करे किन्तु ऐसा नही कर सरसरी तौर पर ही विधिक बिन्दु के आधार पर विचाराधीन घोषणा के वाद को ख़ारिज करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक त्रुटी किया जाना स्पष्ट होता है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय/डिक्री दिनांक 12/04/2018 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विधिक प्रक्रियाओ की अनुपाना करते हुये बाद सुनवाई पक्षकारान तनकीवार विस्तृत निर्णय/डिक्री पुन: पारित करे। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 30/10/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	